अनुदान संख्या 74 - विद्युत मंत्रालय
GRANT No. 74 – MINISTRY OF POWER

			कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving -
					(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
राजस्वः	**Revenue :**				
स्वीकृत -	Voted -				
मूल	Original	11386,74,00	11418,97,00	7581,43,02	-3837,53,98
पूरक	Supplementary	32,23,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				3832,87,81
पूंजीगतः	**Capital :**				
स्वीकृत -	Voted -				
मूल	Original	4428,84,00	5139,49,00	3179,72,51	-1959,76,49
पूरक	Supplementary	710,65,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				1458,82,00

टीका और टिप्पणियां

1. अनुदान के राजस्व भाग में, कुल बचतें (₹383753.98 लाख) अगस्त, 2010, नवम्बर, 2010 और मार्च, 2011 में प्राप्त किए गए ₹3223.00 लाख के पूरक अनुदान से अधिक हो गईं और ये कुल स्वीकृत प्रावधान का 34 प्रतिशत थीं।

बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआः-

Notes and comments

1. In the revenue section of the grant, the overall savings (₹383753.98 lakhs) exceeded the supplementary grants of ₹3223.00 lakhs obtained in August, 2010, November, 2010 and March, 2011 and constituted 34 percent of the total sanctioned provision.

Savings/excess occurred under the following major heads :-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	अधिक व्यय + Excess + बचत- Saving -
मुख्य शीर्ष "2552"	Major Head "2552"				
उत्तर पूर्वी क्षेत्र	North Eastern Areas				
मू.	O.	64800.00	7758.00	..	-7758.00
पु.	R.	-57042.00			
मुख्य शीर्ष "2801"	Major Head "2801"				
बिजली	Power				
मू.	O.	1071595.00	748619.64	755922.95	+7303.31
पू.	S.	3222.00			
पु.	R.	-326197.36			

(I) ₹91220.50 लाख का प्रावधान (₹1.50 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित) सात शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा; इनमें से ₹91144.00 लाख निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत लेखाबद्ध किए गए:-

(I) Provision of ₹91220.50 lakhs (including token supplementary grant of ₹1.50 lakhs) remained wholly unutilised under seven heads; of these ₹91144.00 lakhs accounted for under the following major heads:-

(का) मुख्य शीर्ष "2552" - "ग्रामीण विद्युतीकरण - अन्य व्यय - राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना से संबंधित ग्रामीण विद्युतीकरण निगम" - ₹64800.00 लाख पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों पर उपयोग के लिए आंशिक निधियों का पुनर्विनियोग कार्यात्मक शीर्षों के किए जाने के कारण थे।

(A) Major Head"2552"-"Rural Electrification-Other Expenditure-Rural Electrification Corporation for Rajiv Gandhi Gramin Vidyutikaran Yojana(RGGVY)"-₹64800.00 lakhs - due to re-appropriation of part funds to functional heads for utilisation on projects/ schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.

(खा) मुख्य शीर्ष "2801" - "सामान्य" -

(B) Major Head "2801"-"General" –

(क) "आरक्षित निधि को अंतरण - केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग निधि को अंतरण" - ₹3180.00 लाख केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग निधि का प्रचालन न किए जाने के कारण थे।

(a) "Transfer to Reserve Fund – Transfer to Central Electricity Regulatory Commission Fund"- supplementary provision of ₹3180.00 lakhs - due to non-operationalisation of Central Electricity Regulatory Commission Fund.

(ख) ''अन्य व्यय'' -

(i) ''केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग'' - ₹400.00 लाख नई निधि ''केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग निधि'' का सृजन किए जाने के कारण थे।

(ii) ''राष्ट्रीय विद्युत निधि'' - ₹22764.00 लाख सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्कीम को अनुमोदन प्रदान न किए जाने के कारण थे।

(II) मुख्य शीर्ष ''2801'' के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

(का) ''ताप विद्युत उत्पादन'' - बदरपुर ताप विद्युत केंद्र - प्रचालन और अनुरक्षण'' - ₹1926.00 लाख की बचत (₹2480.00 लाख के स्कीकृत प्रावधान की तुलना में) रेलवे को अपवर्तित वैगनों के लिए कम निधियों की आवश्यकता होने और बदरपुर ताप विद्युत केंद्र एवं रेलवे के बीच बकाया देयताओं का समाधान न होने के कारण हुई।

(खा) ''ग्रामीण विद्युतीकरण - आरक्षित निधि को अंतरण - राष्ट्रीय निवेश निधि को अंतरण'' - ₹300000.00 लाख की बचत (₹500000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) विनिवेश के लिए निर्धारित लक्ष्य प्राप्त न किए जाने के कारण हुई।

(गा) ''सामान्य'' -

(क) ''प्रशिक्षण - राष्ट्रीय विद्युत प्रशिक्षण'' - ₹300.00 लाख की बचत (₹2640.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) परियोजना कारपोरेट कार्यालय, फरीदाबाद में प्रशिक्षण सुविधाओं का आधुनिकीकरण और उन्नयन के संबंध में हुडा से निर्माण कार्यों के लिए अनापत्ति प्राप्त न होने के कारण हुई।

(ख) ''अनुसंधान और विकास - केंद्रीय विद्युत अनुसंधान संस्थान'' - ₹1667.50 लाख की बचत (₹0.50 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित ₹7818.50 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) ट्रांसफार्मरों के लाइन पर परीक्षण सुविधाओं को लागू किए जाने के लिए राष्ट्रीय

(b) "Other Expenditure"-

(i) "Central Electricity Regulatory Commission"- ₹400.00 lakhs - due to creation of new fund "Central Electricity Regulatory Commission Fund".

(ii) "National Electricity Fund (NEF)"- ₹22764.00 lakhs- due to non-approval of the scheme by the Competent Authority.

(II) Under Major Head "2801"- savings occurred under the following heads :-

(A) "Thermal Power Generation - Badarpur Thermal Power Station - Operation and Maintenance" - saving of ₹1926.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2480.00 lakhs) was due to requirement of less funds for diverted wagons to railways and non-reconciliation of the outstanding liabilities between Badarpur Thermal Power Station and Railways.

(B) "Rural Electrification - Transfer to Reserve Fund - Transfer to National Investment Fund"- saving of ₹300000.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹500000.00 lakhs) was due to non-achievement of target fixed for disinvestment.

(C) "General"-

(a) "Training-National Power Training"- saving of ₹300.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2640.00 lakhs) was due to non-receipt of clearance for construction works from HUDA in respect of project modernisation and upgradation of training facilities at Corporate Office, Faridabad.

(b) "Research and Development - Central Power Research Institute"- saving of ₹1667.50 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹7818.50 lakhs including token supplementary grant of

उच्च विद्युत परीक्षण प्रयोगशाला लिमिटेड में भागीदारी के प्रस्ताव को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण हुई।

(ग) ''अन्य व्यय'' -

(i) ''केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण'' - ₹717.33 लाख की बचत (₹6064.44 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) विद्युत पारेषण सेक्टर के लिए राष्ट्रीय नीति दस्तावेज तैयार किए जाने के लिए परामर्शदाता द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत न किए जाने, परामर्शदाताओं की नियुक्ति में विलम्ब होने और रिक्त पद भरे न जाने के कारण हुई।

(ii) ''ऊर्जा दक्षता ब्यूरो'' - ₹595.00 लाख की बचत (₹6692.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) लघु और मध्यम उद्यम स्कीम की कम बोली प्राप्त होने, ऊर्जा उपयोग और प्रौद्योगिकी अंतर विश्लेषण के देर से पूरा होने और उपयोगिताओं से विस्तृत परियोजना रिपोर्टें देर से प्राप्त होने के कारण हुई।

(iii) ''विद्युत अपील अधिकरण'' - ₹118.32 लाख की बचत (₹695.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों के भरे न जाने के कारण हुई।

(iv) ''ऊर्जा संरक्षण'' - ₹1670.00 लाख की बचत (₹14394.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) परियोजना राष्ट्रीय संवर्धित ऊर्जा दक्षता मिशन की कुछ अनापत्ति लम्बित होने के कारण हुई।

(III) दो शीर्षों के अंतर्गत ₹165.74 लाख की बचतें हुईं जो प्रत्येक में ₹50.00 लाख से अधिक परन्तु ₹100.00 लाख से कम और स्वीकृत प्रावधान का 18 प्रतिशत और 96 प्रतिशत थी।

₹0.50 lakh) was due to non-finalisation of the proposal of participation in the National High Power Test Laboratory Limited for implementation of online test facilities of transformers.

(c) "Other Expenditure"-

(i) "Central Electricity Authority" - saving of ₹717.33 lakhs (against the sanctioned provision of ₹6064.44 lakhs) was due to non submission of report by consultant for preparation of National Strategy document for electricity transmission sector, delay in appointment of consultants and non-filling up of vacant posts.

(ii) "Bureau of Energy Efficiency"- saving of ₹595.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹6692.00 lakhs) was due to receipt of less bidding of Small and Medium Enterprise scheme, delayed completion of energy use and technology gap analysis and receipt of detailed project reports from utilities.

(iii) "Appellate Tribunal for Electricity"- saving of ₹118.32 lakhs (against the sanctioned provision of ₹695.00 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts.

(iv) "Energy Conservation"- saving of ₹1670.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹14394.00 lakhs) was due to pending certain clearance of the project National Mission for Enhanced Energy Efficiency.

(III) Under two heads savings of ₹165.74 lakhs occurred, each exceeding ₹50.00 lakhs but not exceeding ₹100.00 lakhs and constituting 18 percent and 96 percent of the sanctioned provision.

2. उपर्युक्त बचतें मुख्य शीर्ष "2801" - "ग्रामीण विद्युतीकरण - अन्य व्यय - राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना से संबंधित ग्रामीण विद्युतीकरण निगम" के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित हो गईं - ₹14800.00 लाख का अधिक व्यय (₹485200.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों पर उपयोग के लिए निधियों का पुनर्विनियोग मुख्य शीर्ष "2552" से कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने और कम निधियों का पुनर्विनियोग गैर-कार्यात्मक शीर्षों को गलती से किए जाने के कारण हुआ।

2. The above savings were partly offset by excess under Major Head "2801"-"Rural Electrification - Other Expenditure - Rural Electrification Corporation for Rajiv Gandhi Gramin Vidyutikaran Yojana" - excess of ₹14800.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹485200.00 lakhs) was due to re-appropriation of funds from Major Head "2552" to functional heads for utilisation on projects /schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim and re-appropriation of less funds inadvertently from non-functional head.

3. अनुदान के पूंजीगत भाग में, कुल बचतें (₹195976.49 लाख) अगस्त, 2010 में प्राप्त किए किए गए ₹71065.00 लाख के पूरक अनुदान से अधिक हो गईं और ये कुल स्वीकृत प्रावधान का 38 प्रतिशत थीं।

3. In the capital section of the grant, the overall savings (₹195976.49 lakhs) exceeded the supplementary grant of ₹ 71065.00 lakhs obtained in August, 2010 and constituted 38 percent of the total sanctioned provision.

बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआ :-

Savings/excess occurred under the following major heads:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving -
मुख्य शीर्ष "4552" उत्तर पूर्वी क्षेत्रों पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "4552" Capital Outlay on North Eastern Areas				
मू.	O.	4500.00	..	..	..
पु.	R.	-4500.00			
मुख्य शीर्ष "4801" बिजली परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "4801" Capital Outlay on Power Projects				
मू.	O.	284.00			
पू.	S	71065.00	65325.00	15230.51	-50094.49
पु.	R.	-6024.00			

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving -
					(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "6552"	Major Head "6552"				
उत्तर पूर्वी क्षेत्रों के लिए कर्ज	Loans for North Eastern Areas				
मू.	O.	37000.00	..	..	..
पु.	R.	-37000.00			
मुख्य शीर्ष "6801"	Major Head "6801"				
बिजली परियोजनाओं के लिए कर्ज	Loans for Power Projects				
मू.	O.	401100.00	302742.00	302742.00	..
पु.	R.	- 98358.00			

(I) ₹41500.00 लाख का प्रावधान निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दो मामलों में पूर्णतया अप्रयुक्त रहा:-

(I) Provision of ₹41500.00 lakhs remained wholly unutilised in two cases under the following major heads:-

(का) मुख्य शीर्ष "4552" - "डीजल/गैस विद्युत उत्पादन - सार्वजनिक क्षेत्र के और अन्य उपक्रमों में निवेश - पूर्वोत्तर विद्युत शक्ति निगम" - ₹4500.00 लाख; और

(A) Major Head "4552" – "Diesel/Gas Power Generation - Investment in Public Sector and Other Undertakings - North Eastern Electric Power Corporation" - ₹4500.00 lakhs; and

(खा) मुख्य शीर्ष "6552" - "सार्वजनिक क्षेत्र के और अन्य उपक्रमों को कर्ज - विद्युत वित्त निगम को कर्ज" - ₹37000.00 लाख।

(B) Major Head "6552" - "Loans to Public Sector and Other Undertakings - Loans to Power Finance Corporation" - ₹37000.00 lakhs.

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत प्रावधान पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों पर उपय़ोग के लिए आंशिक निधियों/निधियों का पुनर्विनियोग कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने और शेष राशि अभ्यर्पित किए जाने के कारण अप्रयुक्त रहा।

Provisions under the above two heads remained unutilised due to re-appropriation of part funds/ funds to functional heads for utilisation on the projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim and surrender of the balance amount.

(II) मुख्य शीर्ष "4801" - "ताप विद्युत उत्पादन - सार्वजनिक क्षेत्र के और अन्य उपक्रमों में निवेश - भारतीय राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम" के अंतर्गत ₹71065.00 लाख की निधियां पूरक अनुदान प्राप्त करके उपलब्ध कराई गई थीं जो, तथापि, कोयलाधारित क्षेत्रों की भूमि के अधिग्रहण संबंधी संवितरण के लिए कम निधियों की आवश्यकता होने भूमि दर और तलाइपल्ली परियोजना के पुनर्वास एवं पुन:स्थापना पैकेज को अंतिम रूप न दिए जाने और झारखंड राज्य में ब्लाक स्तर पर पुराने भूमि राजस्व रिकार्डों के सत्यापन में विलम्ब होने के कारण ₹60546.00 लाख की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

(II) Under Major Head "4801" - "Thermal Power Generation - Investment in Public Sector and Other Undertakings - National Thermal Power Corporation of India" – funds of ₹71065.00 lakhs were provided by obtaining supplementary grant which, however, remained unutilised to the extent of ₹60546.00 lakhs - due to requirement of less funds towards disbursement for acquisition of land of coal bearing areas, non-finalisation of land rate and rehabilitation and resettlement package of Talaipalli Project and delay in verification of old land revenue records at block level in Jharkhand State.

(III) मुख्य शीर्ष "6801" - "सार्वजनिक क्षेत्र के और अन्य उपक्रमों को कर्ज - विद्युत वित्त निगम को कर्ज" के अंतर्गत ₹98358.00 लाख की बचत (₹323000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) अन्य स्रोतों से सस्ते कर्ज उपलब्ध होने की वजह से भाग-ख के लिए कर्ज आहरित करने के लिए कुछ राज्यों के इच्छुक न होने और कुछ राज्यों द्वारा भाग-क परियोजनाओं के कर्ज का द्वितीय भाग आहरित किए जाने के कारण हुई।

(III) Under Major Head "6801" - "Loans to Public Sector and Other Undertakings - Loans to Power Finance Corporation" - saving of ₹98358.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹323000.00 lakhs) was due to non willingness of some States to draw the loan for part-B owing to availability of cheaper loan from other sources and drawal of 2nd tranche of loan of part-A projects by few states.

(IV) एक शीर्ष के अंतर्गत ₹72.49 लाख की बचत हुई जो स्वीकृत प्रावधान का 26 प्रतिशत थी।

(IV) Under one head saving of ₹72.49 lakhs occurred constituting 26 percent of the sanctioned provision.

4. उपर्युक्त बचतें मुख्य शीर्ष "4801" - "डीजल/गैस विद्युत उत्पादन - सार्वजनिक क्षेत्र के और अन्य उपक्रमों में निवेश- पूर्वोत्तर विद्युत शक्ति निगम" के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित हो गईं - ₹4500.00 लाख का अधिक व्यय (शून्य प्रावधान की तुलना में) पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों पर उपयोग के लिए निधियों का पुनर्विनियोग मुख्य शीर्ष "4552" से कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने के कारण हुआ।

4. The above savings were partly offset by excess under Major Head "4801" - "Diesel/ Gas Power Generation - Investment in Public Sector and Other Undertakings - North Eastern Electric Power Corporation" - excess of ₹4500.00 lakhs (against nil provision) was due to re-appropriation of funds from Major Head "4552" to functional heads for utilisation on projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.